ायालय उपखण्ड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :—अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या — 147/2024

बनाम

प्रार्थी
ग्राम पंचायत सियाणी

विप्रार्थी
1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम

दिनांक 19.05.2025

आदेश

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं ग्राम पंचायत सियाणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौजा सियाणी तहसील रामसर के खसरा संख्या 198 रकबा 26.3045 हेक्टयर में वक्त सेटलमेन्ट के समय 03 सार्वजनिक कुए बने हुये थे जिसका उपयोग आमजन पानी पीने हेतु करते थे लेकिन उक्त कुओ का राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही हुऐ थे इस कारण उक्त कुओ को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2024 को प्रस्तुत किया जिसे दर्ज किया गया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार रामसर से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार रामसर से पत्रांक राजस्व/कोर्ट/2025/675 दिनांक 03.04.2025 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। बहस सुनी गई पत्रावली के अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सियाणी तहसील रामसर के खसरा संख्या 198 रकबा, 26.3045 हेक्टयर में वक्त सेटलमेन्ट के समय बने हुये 03 सार्वजनिक कुओं को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना न्यायालय सिविल न्यायाधीश बाड़मेर के आवेदन संख्या 48/2022 अनवान गजेसिंह बनाम स्टेट व आवेदन संख्या 02/2022 अनवान झण्डसिंह बनाम राज्य का स्थगन दर्ज है। तहसीलदार रामसर को स्थगन हटने पर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक **19.05.2025** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जिला बाड़मेर

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर
दिनांक 19.05.2025

क्रमांक : रीडर/2025/ 707-08
प्रतिलिपि :—
1. तहसीलदार रामसर।
2. सरंपच ग्राम पंचायत सियाणी।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर